

Original
[Handwritten signatures]

संख्या- 4755/15-7-16 1821/1995

प्रेषण

श्री आशोक वांगुनी,
तहसील मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश शासन ।

Recognition NO C

सेवा में

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा भेद 2 समुदाय केन्द्र,
प्रतिष्ठ विहार नई दिल्ली ।

विषय 178 अनुभव

तारीख: दिनांक: 22 जनवरी, 1996

विषय:- उत्तम स्कूल कार कर्ष शास्त्रीनगर नाबियाबाद जी सी०बी०एन०ई नई दिल्ली में सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह पत्रों का निदेश प्राप्त है कि उत्तम स्कूल कार कर्ष शास्त्रीनगर नाबियाबाद जी सी०बी०एन०ई नई दिल्ली में सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अंगीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीताहटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 120 विद्यालय की प्रकल्प क्षमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसुचित जाति/अनुसुचित जातियों के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 140 सेवा द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदाय की बात नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केवल शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/जी०बी०एन०ई कार दि अतिथि स्कूल नहीं किनेट अस्वास्थ्य नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 150 सेवा के केवल सर्व शिक्षित कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण सेवाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिखे जायेगी ।
- 160 कर्मचारियों की सेवा नहीं करावी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनापत्ति उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेगी ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निम्नलिखित विधि बार्डों के संस्था उनका पालन करनी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रथम/वर्षिकाओं में रखा जावेगा ।

191 उक्त बार्डों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या करिबन्दी नहीं किया जावेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

111 विद्यालय में कालगणनी तथा प्रवेश पुस्तक के मध्य में कोई पुस्तक नहीं लिया जा रहा है ।

121 विद्यालय में लिया जा रहा कम्प्यूटर पुस्तक तथा वार्षिक पुस्तक कम कर दिया जायगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की सुविधा या निर्दिष्टता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाधिकृत प्रमाण पत्र वापस ले लिया जावेगा ।

भवदीय,

राज्यिक बार्डों
संयुक्त बार्डों ।

Form 4755111/15-7-1996 सहित

प्रतिबन्धित विनियमों को सुचारु रूप से आवाक्य कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार ।
- 2- कक्षाध्यक्ष एवं शिक्षा निदेशक बैठक ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, माध्यामिक ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेजी भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार ।
- 5- प्रमुख, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कक्षाध्यक्ष माध्यामिक ।

आज्ञा है,

[Signature]

For UTTAM SCHOOL FOR GIRLS

[Signature]

राज्यिक बार्डों
संयुक्त बार्डों ।

[Signature]

12/12/2011